22

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0कं0 /2017 विविध, सिवनी I/विविध/सिवनी/भू.रा/2017/2083

सुमरू महरा वल्द गंगू मेहरा
निवासी ग्राम मानेगांव तहसील
व जिला सिवनी म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ---अनावेदक

द्वारा आज दि. 24-6-17 को
प्रस्तुत
24-6-17
क्लर्क सौंपा कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी0पी0सी0 एवं धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता संशोधन करने बावत।

महोदय,

निवेदन है कि-

1. यह कि, आवेदक द्वारा आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-11-2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष निगरानी कं 3388/एक/2016 प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में दिनांक 4-1-17 को अन्तिम आदेश पारित किया था। निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-1-17 में त्रुटि हो गयी है जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

2. यह कि विवादित भूमि वर्ष 1916-17 में माल गुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में मिसल नं0 28 रकवा 5.98 हे0 सियाम व बहोरी सा0 देह माफी खिदमी भूमि प्रदान की गयी थी। उक्त भूमि माल गुजार द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई थी। आवेदक विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में खेती करता चला आ रहा है।

3. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कंडिका 6 में त्रुटिवश प्रश्नाधीन भूमि पर से अहस्तान्तरणीय विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया है जबकि अहस्तान्तरणीय के स्थान पर सेवा खातेदार शब्द को विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना था।

अतः निवेदन है कि सेवाखातेदार शब्द को विलोपित कर संशोधित आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक 24-6-2017

आवेदक
सुमरू महरा वल्द गंगू मेहरा
निवासी ग्राम मानेगांव तहसील व जिला सिवनी
द्वारा
अधिवक्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–विविध / सिवनी / भू.रा. / 2017 / 2083

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह विविध आवेदन तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3388–एक / 2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–1–17 पर से प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने संहिता की धारा 32 सहपठित सी0पी0सी0 की धारा 152, 153 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों के समर्थन में बताया कि विवादित भूमि वर्ष 1916–17 में माल गुजार व्दारा व्यक्तिगत सेवा में दी गई थी किन्तु आदेश दिनांक 4–1–17 पारित करते समय आदेश के पद 6 में अहस्तांतरणीय सेवा खातेदार शब्द गलत लिखा हो गया है जिसमें सुधार कर सेवा खातेदार शब्द को विलोपित करके आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करने का संशोधित आदेश पारित किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा संहिता की धारा 32 सहपठित सी0पी0सी0 की धारा 152, 153 के आवेदन के तथ्यों के कम में दिये गये तर्को पर तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3388–एक / 2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–1–17 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है– • उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव आयुक्त, जबलपुर का आदेश दिनांक 7–11–16 एंव कलेक्टर सिवनी का आदेश दिनांक 21–11–12 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार सिवनी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर से अहतांतरणीय विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में इंद्राज करें। * तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के निर्णय से स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिवनी अहस्तांतरणीय शब्द शासकीय अभिलेख से	

विलोपित करेंगे , जब तहसीलदार व्दारा शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप दर्ज किया जावेगा, शासकीय अभिलेख में पूर्व से चले आ रहे इन्द्राज अनुसार तहसीलदार अभिलेख देखकर सेवा खातेदार शब्द को विलोपित करके आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करने की कार्यवाही भी करेंगे, तब आवेदक तदाशय की मांग तहसीलदार के समक्ष करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण आवेदक व्दारा तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3388–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–1–17 में सुधार कर संशोधित आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन माने जाने योग्य नहीं है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन विचार योग्य न होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य